मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 143-48
भोपाल, दिनांक 27/01/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/604/2015

आवेदकः—

M/s Erawat Pharma Ltd.,
12-C/FA, Scheme No. 94,
Above Kasliwal Honda, Ring Road,
Near Pipliyahana Square,
Indore – 452016 (M.P.)

विरूद्ध अनावेदकः—

1- M/s Falma Laboratories (P) Ltd.
54-A, Industrial Area,
Hoskote,
Bengaluru - 562114

2- M/s Falma Laboratories (P) Ltd.
Mr. Kollenmareth Oomman Isaac, Director,
44/41, Solai Vilas, M G R Road,
Besant Nagar,
Chennai - 600090 TN

3- M/s Falma Laboratories (P) Ltd.
Mr. Vinod Kumar Baid, Additional Director,
5, lovelock Place
Kolkatta - 700019 (WB)

4- M/s Falma Laboratories (P) Ltd.
Mr. Prabir Kumar Sarkar, Additional Director,
Flat No. 21A, 58/1, Ballygunge,
Circular Road,
Kolkatta - 700019 (WB)

5- M/s Falma Laboratories (P) Ltd.
Mr. Dipankar Dasgupta,
289A, Banerjee Para Road,
Chatterjee bagan, West Putiary,
Kolkatta - 700041 (WB)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 27/.1/.2020

आवेदक ने दिनांक 15.04.2015 को काउन्सिल के समक्ष, उपरोक्त अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 2,05,347/— एवं दिनांक 28.02.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 1,52,578/— कुल बकाया राशि रू. 3,57,925/— का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :—

1. अनावेदक द्वारा 22 लाख जिलेटिन केप्सूल्स के प्रदाय हेतु दो प्रदाय आदेश दिनांक 15.10.2012 जारी किये गये, जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा अनावेदक को इन्वाईस क्रमांक 923, दिनांक 30.11.2012 के माध्यम से कुल राशि रू. 2,05,347/— के 23.33 लाख जिलेटिन केप्सूल्स का प्रदाय किया गया है।

2. आवेदक का कथन है कि उत्पाद में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। अतः क्रेता द्वारा प्रदायित सामग्री/सेवा के विरुद्ध कोई आपत्ति/शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

3 आवेदक द्वारा प्रदायित जिलेटिन केप्सूल्स अनावेदक को बिल्टी के माध्यम से प्रेषित किये गये है, जो अनावेदक को दिनांक 08.12.2012 को प्राप्त हुए है, जिसकी स्वीकारेक्ति एवं प्राप्ति की पुष्टि, बिल्टी पर अनावेदक द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं सील से होती है।

4. आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री की बकाया राशि रू. 2,05,347/— के भुगतान हेतु पत्र/

.....2

नोटिस भेजे गये किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक से प्राप्त की गई सामग्री का भुगतान नही किया गया है।

5. अतः आवेदक द्वारा अनावेदक पर बकाया मूलधन राशि रूपये 2,05,347/– (रूपये दो लाख पांच हजार तीन सौ सैतालिस मात्र) एवं इस पर 28.02.2015 तक की ब्याज राशि रूपये 1,52,578/– (रूपये एक लाख बावन हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र), कुल राशि रूपये रूपये 3,57,925/– (रूपये तीन लाख सत्तावन हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक का ब्याज दिलवाने हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2015 को प्रस्तुत किया गया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 995–996 दिनांक 15.05.2015, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 27.04.2016, 03.11.2016, 25.01.2017, 19.04.2017, 21.02.2018, 11.09.2019, 23.06.2019 एवं दिनांक 08.12.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई–मेल जारी किये गये।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को आवेदक मेसर्स एरावत फार्मा, इन्दौर एवं अनावेदक मेसर्स फल्मा लेबोरेट्रीज प्रा0लि0, बैंगलोर अनुपस्थित।

काउन्सिल द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, गुणदोष पर निर्णय लिए जाने हेतु फैसला सुरक्षित किया गया।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण दिनांक 30.05.2019 को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया था। काउन्सिल द्वारा आवेदक से सामग्री (केप्सूल खोल) के गुणवत्ता संबधी अनुबंध/करार चाहे गये थे, जिसे वह काउन्सिल को उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा तथा अपने दावे को सिद्ध करने हेतु सुनवाई में भी अनुपस्थित रहा। अतः दावा आवेदन प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवेदक M/s Erawat Pharma Ltd., 12-C/FA, Scheme No. 94, Above Kasliwal Honda, Ring Road, Near Pipliyahana Square, Indore (M.P.) द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2015 प्रमाणित नही होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं